कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / हिनि / 28203 / 2015–16 दिनांक : 21-3-16

उप निदेशक,(माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा),
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा),
समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
समस्त विशिष्ट संस्थाएँ, शिक्षा विभाग

अत्यावश्यक

विषय : **वर्ष : 2015–16 के लिए समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों के हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।**

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.21(ग)2/95 दिनांक 02.08.2002 की अनुपालना में हितकारी निधि में वर्ष 2015–16 का वार्षिक अंशदान शिक्षा विभाग के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों / विद्यालयों के अधिकारियों / व्याख्याताओं / वरिष्ठ अध्यापकों / शारीरिक शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों / अध्यापकों / प्रयोगशाला सहायकों / कार्यालय अधीक्षकों / कार्यालय सहायकों / वरिष्ठ लिपिकों / कनिष्ठ लिपिकों / जमादार,सहायक कर्मचारियों एवं अन्य समस्त संवर्ग के राज्य कर्मचारियों का राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्धारित दर से हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान समस्त आहरण–वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कार्यरत कार्मिकों से अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष प्राप्त कर आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से भिजवाये जाने का प्रावधान किया हुआ है :–

<u>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान की दरें:</u>

1. समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) 50 / – प्रति वर्ष
2. व.अ. / कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक एवं समकक्ष 30 / – प्रति वर्ष
3. अध्यापक / व.लि. / क.लि. / प्र.शा.से. / प्र.शा.स. / जमादार / च.श्रे.क. एवं समकक्ष 20 / – प्रति वर्ष

<u>हितकारी निधि कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य :</u>

इस कल्याणकारी योजना अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों / अध्यापको से प्राप्त अंशदान राशि से सेवा में रहते हुए कार्मिकों के निधन पर उनके आश्रितों को रूपये 7000 / – एवं दुर्घटना मे निधन होने पर रूपये 10,000 / – तथा गंभीर बीमारी पर उनको तथा परिवार के सदस्य की बीमारी पर रूपये 5000 / – की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। शिक्षा विभागीय कर्मचारियों / अध्यापको के 100 बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा मे प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होने पर रूपये 1500 / – से 2500 / – तक की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

प्रायः देखने में आया है कि आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना में शिथिलता बरती जाती है, जिसके कारण वार्षिक अंशदान की राशि पूर्ण रूप से तथा समय पर प्राप्त नहीं होती तथा परिणामस्वरूप इस कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत अंशदान सहायता राशि में बढोतरी नहीं हो पाती।

अतः वर्ष 2015–16 का हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान मार्च माह के वेतन से (जिसका भुगतान अप्रेल,2016 मे किया जावेगा) में अनिवार्य रूप से समस्त कार्मिकों से उपर्युक्त निर्धारित दर से प्राप्त कर उक्त राशि आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ समस्त विद्यालयों को परिपत्र जारी करें व प्रत्येक आहरण–वितरण अधिकारी से निर्धारित दर से वार्षिक अंशदान की राशि संकलित कर प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट **"अध्यक्ष,हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर"** के नाम से बनावाकर भिजवावें तथा प्रत्येक आहरण–वितरण अधिकारी से ये प्रमाण–पत्र भी लेवें कि उनके **अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के अंशदान की राशि प्राप्त कर निदेशालय को भिजवा दी गई है।**

समस्त कार्यालयों / विद्यालयों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों से प्राप्त अंशदान का एक रजिस्टर निम्न प्रपत्रानुसार (एक पृष्ट पर एक ही नाम अंकित करें) आवश्यक रूप से प्रत्येक आहरण–वितरण अधिकारी अपने कार्यालय / विद्यालयय मे संधारित करेगा, जिसमें अंशदान की प्रविष्टियों का समुचित इन्द्राज हो।

<u>हितकारी निधि अंशदान रजिस्टर संधारण का प्रपत्र</u>

कार्यालय / विद्यालय का नाम :

कर्मचारी का नाम : पदः नियुक्ति तिथिः

क्र.सं.	अंशदान वर्ष	अंशदान राशि	बैंक ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	निदेशालय से प्राप्त जी.ए.51 क्रमांक एवं दिनांक

(बद्री लाल स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
3. सम्पादक,शिविरा पत्रिका,बीकानेर को प्रकाशनार्थ।

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर